(6)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 136—एक/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 2—03—2015 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील गोहद जिला भिण्ड का प्रकरण कमांक 50/बी—121/2013—14.

.....

1— उपेन्द्र सिंह पुत्र कप्तानसिंह यादव
निवासी लोहारपुरा (मौ) जिला भिण्ड
2— श्रीमती सरिता पत्नी जयप्रकाश श्रीवास्तव
निवासी झण्डउ मौहल्ला मौ जिला भिण्ड
3— जयप्रकाश श्रीवास्तव पुत्र श्री शंकर प्रसाद श्रीवास्तव
निवासी झण्डउ मौहल्ला मौ जिला भिण्ड

—— आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन

—— अनावेदक

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी0 एन0 त्यागी अभिभाषक, शासन अनावेदक

.....

## आदेश

(आज दिनांक 5/7/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार तहसील गोहद जिला भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.3.15 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2— प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि ग्रामवासी ग्राम छेकुरी की ओर से सक शिकायती आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रभारी पटवारी श्री धुवसिंह चौहान द्वारा पूर्व

पटवारी से मिलकर शासन की चरनोई भूमि को 1 करोड़ रूपये में हरियाणा के व्यक्ति को विकय किया गया है । इसमें सर्वे न0 321 का पुराना नम्बर 558 शामिल है। इस शिकायत के संबंध में रा0 नि0 वृत्त मौ से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई है। राजस्व निरीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 14.3.14 को रूप रीनम्बरिंग पर्चा के प्रस्तुत कर बताया है कि सर्वे कमांक 259 तथा 558 बन्दोवस्त के पूर्व शासकीय चरनोई खसरा पंचशाला में वर्ष 1998–99 में अंकित है। राजस्व निरीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि सर्वे न0 321 रकवा 5.47 शा0का0 जिसका नम्बर 259 रकवा 10.272 चरनोई अंकितं हैं ओवर रायटिंग कर 736 मिन एवं 736 मि0 3.09 पर रघुवीर सिंह वगैरा शा0म0 173 रकवा 0.209 तथा रविन्द्र पुत्र उत्तमसिंह 1.00 है0 प्रकरण कमांक 23/91–92 आदेश दिनांक नहीं हैं अ–19 मात्र हैड़ अंकित है। 756.870 चरनोई अंकित है जिसमें ओवर रायटिंग कर 756 मिन रकवा 1.65 कॉलम 3 में खान नमबर 12 में प्रकरण कमांक 23/91–92/अ–19 अंकित है। सर्वे न0 771 रकवा 2.86 है0 चरनोई अंकित है जिसमें ओव्हर रायटिंग करके 2.06 है0 चरनोई एवं 0.80 है0 को काबिल काश्त अंकित किया गया है, जिसका पुराना सर्वे न0 558 रकवा 48.732 शा0 चरनोई अंकित है तथा खसरा सन् 1979–80 के अनुसार शासकीय है।

3– हल्का पटवारी से ग्राम छेंकुरी की नामांतरण पंजी संवत 2070 वर्ष 2013–14 प्राप्त कर अवलोकन किया उक्त पंजी में पृविष्ट कमांक 04 दिनांक 24.10.13 आदेश दिनांक 19.11.13 में ग्राम छेंकुरी के भूमि सर्वे कमांक 321/1 रकवा 2.00, 321/2 रकवा 2.78 है0 771 रकवा 2.06 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 6.84 है0 भूमि विकेता उपेन्द्र सिंह पुत्र कप्तान सिंह जाति यादव निवासी लोहारपुरा एवं श्रीमती सरिता पुत्री रविन्द्र प्रसाद पत्नी जयप्रकाश श्रीवास्तव निवासी मौ ने केता जसमेर, रामपाल, सुरेश कुमार पुत्र रामप्यारी जाति राजपूत निवासी जडोला हरियाणा का नामांतरण प्रमाणित होना पाया गया। जिसे तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोहद के आदेश दिनांक 11.9.14 में दी गई पुनर्रावलोकन की अनुमति के कम में नामांतरण प्र0 क0 4 आदेश दिनांक 19.11.13 से ग्राम छेंकुरी के भूमि सर्वे कमांक 321/1 रकवा 2.00, 321/2 रकवा 2.78 है0 771 रकवा 2.06 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 6.84 है0 शासकीय चरनोई अंकित करने से दुखित होकर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्त करने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

5–शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी ध्रुवसिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को लिखा है तथा इसी प्रकार सरिता देवी पूर्व पटवारी जयप्रकाश श्रीवास्तव की पत्नी है और उसने रिकार्ड में हेराफेरी अपने स्वार्थ के लिये की है । उनके विरूद्व धोखा धड़ी का मामला दर्ज किया जाने हेतु थाना प्रभारी को लिखने के आदेश दिये गये है। इससे यह सिद्व होता है कि शासकीय भूमि को अपने नाम की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः शासन में दर्ज कराने के जो आदेश दिये है वह उचित है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

6– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो अपनी निगरानी मेमों में अंकित किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार मौ श्री दुर्गा सिंह मौर्य ने राजस्व निरीक्षक वृत्त की ओर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तथा उनके संज्ञान में यह तथ्य आने पर कि उनके द्वारा प्रमाणित उक्त नामांतरण शासकीय भूमि से संबंधित है तब उन्होंने तत्कालीन प्रभारी पटवारी श्री धुबसिंह चौहान को केताओं को भूमि–अधिकारी ऋण पुस्तिका तैयार न करने एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर तहसील कार्यालय गोहद को पृविष्ट न करने के आदेश दिये उसके पश्चात पटवारी ने ऋण पुस्तिका प्रदाय की एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर ने पृविष्ट कर दी यह उल्लेख अपने आदेश में तहसीलदार द्वारा किया गया है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि अपने वरिष्ट अधिकारी का पालन न करते हुये भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा चरनोई की भूमि खुर्द बुर्द की

है। अतएवं तहसीलदार तहसील गोहद जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 50/2013–14/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 2.3.15 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर